

प्रति,

श्री ज्योति बागुल,
जय शक्ति,
उत्तर प्रदेश शासन ।

मेरा है,

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा संज्ञा 2 तलवार रोड,
प्रति, गिड्डर नई दिल्ली ।

शिक्षा 171 अनुभाग

संज्ञक: दिनांक: 10 अक्टूबर, 1994

विषय:- सर्वोच्च शिक्षा आयोग (ओएचए) की शीघ्रगोपनीय नई दिल्ली से सम्बन्धित एक अधिसूचना प्रमाण पर ध्यान देने के सम्बन्ध में ।

कोटि,

उपरोक्त विषयक पर मुझे पत्र पाने का निदेश हुआ है कि सर्वोच्च शिक्षा आयोग (ओएचए) की शीघ्रगोपनीय नई दिल्ली से सम्बन्धित प्रदान किये जाने में एक राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रावधानों के अधीन अधिसूचना नहीं है ।

- 1- शिक्षाणव की संवीकृत शीघ्रगोपनीय का काम काम पर अधीनस्थ कराया जायेगा ।
- 2- शिक्षाणव की प्रकल्प तयारि में शिक्षा निदेशक द्वारा तयारि एक तदर्थ होना ।
- 3- शिक्षाणव में कम से कम एक प्रशिक्षित स्वयं अनुसूचित/अनुसूचित जनजाति के वर्गों के लिए सुरक्षित रहने और उनके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा तयारि शिक्षाणवों में विभिन्न वर्गों के लिए निर्धारित कुल के अधिक कुल नहीं किया जायेगा ।
- 4- सेवा द्वारा राज्य सरकार के विद्यो अनुदान को मान्य नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में शिक्षाणव माध्यमिक शिक्षा परिषद के/विश्व शिक्षा परिषद के सम्बन्धता प्राप्त है तथा शिक्षाणव की सम्बन्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/श्रीलंका कार दि विभिन्न स्तर तदीक्षित सम्बन्धित नई दिल्ली से प्राप्त होना के तो उन परीक्षा परिषदों के सम्बन्धता प्राप्त होने की विधि के परिषद के सम्बन्धता एक राज्य सरकार के अनुदान स्वतः सम्पन्न ही जायेगी ।
- 5- सेवा वैधित एवं विभिन्नत कर्तारियों को राजकीय सम्बन्धता प्राप्त शिक्षा तयारि के कर्तारियों को अनुसूचित वैधतमानों तथा अन्य मतों के कम वैधतमान तथा अन्य मतों नहीं किये जायेंगे ।
- 6- कर्तारियों को सेवा में कर्तारों जायेगी और उन्हें सम्बन्धता प्राप्त आकाशवीय उच्चतर माध्यमिक शिक्षाणवों के कर्तारियों को अनुसूचित सेवा निर्धारित का नाम उपलब्ध कराये जायेंगे ।

7- राज्य सरकार द्वारा एक एक वर जो भी उचित विधि विधि से ली जाये, ली जाये उक्त पालन करेगी ।

8- विद्यालय का विचार निर्धारित प्रक/वीकेंडों में रखा जायेगा ।

9- उक्त कर्तव्य में राज्य सरकार के सुपरिन्टेण्ड के विना कोई परिष्कार/संशोधन या परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

2- सुनिश्चित हो जाये कि ली जाये द्वारा जो सुनिश्चित किया जाये कि विद्यालय में कर्मचारियों के लिये हीवीटोल्ड पीका विधित्त लागू के लिये मासिकता के जो भी सुक नहीं किया जा रहा है ।

3- उक्त सुनिश्चितों का पालन करवा ली जाये के विन उचितार्थ होना जो यदि लियो एक यह पता जाता है कि ली जाये द्वारा उक्त सुनिश्चितों का पालन नहीं किया जा रहा है उक्त पालन करने में लियो प्रकार की सुक या विधित्त करती या रती के ली राज्य सरकार द्वारा सुदत्त उपायार्थित प्रयास का पालन के किया जायेगा ।

भारतीय,

भारतीय संघीय
उप संघीय ।

पत्र सं 3683114/15-7-1994 तदुत्तरित

सुविधित्त विन्मविधित्त जो सुवार्थ जो उपायार्थ कार्यवाही हेतु सुनिश्चित है :-

- 1- विद्यार्थि विद्यार्थि उक्त सुदत्त, लक्षण ।
- 2- लक्षण उप विद्यार्थि विद्यार्थि, लक्षण ।
- 3- विद्यार्थि विद्यार्थि विद्यार्थि, लक्षण ।
- 4- विद्यार्थि, उक्त भारतीय विद्यार्थि उक्त सुदत्त, लक्षण ।
- 5- सुदत्त, लक्षण विद्यार्थि विद्यार्थि लक्षण ।

उक्त है,

भारतीय संघीय
उप संघीय ।